देवघर समाहरणालय

(जिला भू अर्जन शाखा)

–: अधिसूचना :–

अधिसूचना संख्या ....131...... / भू अ०   दिनांक : 13/2/19

चूँकि झारखण्ड सरकार / समाहर्त्ता को यह प्रतीत होता है कि **ग्राम–गोपलारायडीह, थाना–सारठ, थाना सं०–447, अंचलः–सारठ, जिला–देवघर** में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना **खागा–फुटानी चौक–डीगरी–डुमरिया मोड़–महापुर पथ पुनर्निर्माण** हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्त्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि **ग्राम–गोपलारायडीह, थाना–सारठ, थाना सं०–447, अंचलः–सारठ, जिला–देवघर** में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश **0.92 एकड़** मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है –

क. स.	खाता सं.	सर्वे भूखंड सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0)			
							उ0	द0	पू0	प0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	4	823	रैयती	बाड़ी–2	0.25	प्रदीप सोरेन पे० स्व० चरण सोरेन सा० बगदाहा।	अर्जित दाग का अंश रकवा	मौजा झगराही, थाना संख्या –453	मौजा फाराआम, थाना संख्या –454	मौजा कुरूमटांड़, थाना संख्या –448
2	5	835	रैयती	बाड़ी–2	0.03	पद्मावती देवी वो प्रभावती देवी पे० स्व० चिलवली पोद्दार अंश समान सा० देह।				
3	5	912	रैयती	बाड़ी–2	0.02	तथैव।				
4	6	834	रैयती	बाड़ी–2	0.03	सरस्वती देवी पति स्व० दुलार पोद्दार सा० देह।				
5	12	909	रैयती	बाड़ी–2	0.04	अशोक पोद्दार वो बालकिशोर पोद्दार पे० स्व० अनन्त पोद्दार वो भदिया देवी पति स्व० बद्री पोद्दार वो नुनलाल पोद्दार वो बेलभद्र पोद्दार पे० स्व० कैलाश पोद्दार अंश समान सा० देह।				
6	13	915	रैयती	बाड़ी–2	0.05	तथैव।				
7	13	916	रैयती	बाड़ी–2	0.06	चानो देवी पति स्व० भतन पोद्दार वो वीणा देवी पति स्व० छतीश पोद्दार वो दशरथ पोद्दार पे० स्व० महावीर पोद्दार वो रामदास पोद्दार पे० स्व० नुनधन पोद्दार वो बालो पोद्दार वो बिनोद पोद्दार वो गुलाब पोद्दार पे० स्व० पांचु पोद्दार वो दुलार पोद्दार वो द्वारिका पोद्दार वो चन्द्रकिशोर पोद्दार पे० स्व० नाचु पोद्दार वो भुवनेश्वरी देव्या पति स्व० अर्जून पोद्दार वो मथुरा पोद्दार वो सुरेश पोद्दार पे० स्व० झगरू पोद्दार वो काशी पोद्दार वो ब्रह्मा पोद्दार वो विष्णु पोद्दार पे० स्व० महादेव पोद्दार वो ओझा पोद्दार पे० स्व० हिरा पोद्दार वो किशन पोद्दार वो युद्धि पोद्दार वो सुधीर				

08-02-2019.

						पोद्दार पे० स्व० हाकिम पोद्दार अंश समान सा० देह।				
8	13	917	रैयती	बाड़ी–2	0.06	सरस्वती देवी पति स्व० दुलार पोद्दार सा० देह।				
9	22	825	रैयती	बाड़ी–2	0.04	लड़घु सोरेन वो नन्दलाल सोरेन वो राम सोरेन पे० स्व० समाय सोरेन वो साधु सोरेन पे० स्व० पीथो सोरेन अंश समान सा० देह।				
10	22	830	रैयती	बाड़ी–2	0.03	तथैव।				
11	22	924	रैयती	बाड़ी–2	0.03	तथैव।				
12	22	827	रैयती	बाड़ी–2	0.03	शिवशंकर सोरेन वो पाणेश्वर सोरेन पे० स्व० जगदीश सोरेन वो सुलेमान सोरेन पे० स्व० नुनलाल सोरेन अंश समान सा० देह।				
13	22	828	रैयती	बाड़ी–2	0.02	हेमलाल सोरेन वो कामेश्वर सोरेन वो दिनेश्वर सोरेन वो गिरधारी सोरेन वो सर्वेयर सोरेन पे० स्व० ईश्वर सोरेन अंश समान सा० देह।				
14	22	923	रैयती	बाड़ी–2	0.03	तथैव।				
15	22	928	रैयती	बाड़ी–2	0.04	तथैव।				
16	22	829	रैयती	बाड़ी–2	0.03	रामेश्वर सोरेन पे० स्व० कानु सोरेन वो छातो सोरेन पे० स्व० बड़का सोरेन वो रासमुनी मराण्डी पति स्व० लोबिन सोरेन वो उबीलाल सोरेन वो विदन सोरेन पे० स्व० टेका सोरेन अंश समान सा० देह।				
17	22	922	रैयती	बाड़ी–2	0.04	तथैव।				
18	25	833	रैयती	बाड़ी–2	0.06	महेश्वर मराण्डी वो सुशील मराण्डी वो हरिशन मराण्डी पे० स्व० लेढ़ा मराण्डी वो गिरीश मराण्डी पे० स्व० सुखु मराण्डी वो हराधन मराण्डी वो जीयन मराण्डी वो बाबुराम मराण्डी पे० स्व० किस्टु मराण्डी अंश समान सा० देह।				
19		911	रैयती	–	0.03	मुस्तवाहा				
				कुल रकवा–	**0.92**					

यह अधिसूचना भू–अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम–2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा–11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता–सह–समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू–वेधन–छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्त्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई

08-02-2019

अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधीत इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू–अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियाँ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

जिला भू अर्जन पदाधिकारी देवघर 8/2/19 | अपर समाहर्त्ता देवघर 08-02-2019 | समाहर्त्ता–सह–उपायुक्त, देवघर। 8/2/19

ज्ञापांक ...131.../ भू अ0, देवघर, दिनांक ...13/2/19...

प्रतिलिपि : संबंधित भूधारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, सारठ को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, मधुपुर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि देवघर जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने का कृपा करें।

जिला भू अर्जन पदाधिकारी देवघर 8/2/19 | अपर समाहर्त्ता देवघर 08-02-2019 | समाहर्त्ता–सह–उपायुक्त, देवघर। 8/2/19